BriskLumbini Apartment Resident Welfare Association

Registered as a Society under Section 9(1) of the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 vide Registration Certificate no. 0793 dated 20.05.2019

CIRCULAR-No. 6 / 2020 — 17 February 2020

Ad hoc Payment against yet-to-be-raised Electricity Bill

This circular and final call is addressed to all owners of flats in Brisk Lumbini Terrace Homes. Those flat owners who have not made the ad hoc payment of Rs.12,000 against yet-to-be-raised electricity bills for the 4 months from 11 October 2019 to date are requested to pay.

11 फरवरी 2020 को बिजली कट गई थी और आपकी अपनी Association के office bearers की याचना पर दया करके Executive Engineer ने कुछ समय के लिए जुड़वा दी थी. उसी रात को central park में तय हुआ था कि जब तक बिजली के बिल नहीं बनते हैं, सभी फ्लैट owner RWA को ad hoc पेमेंट कर देंगे. कुछ मकान मालिकों ने 12,000 रुपये प्रति फ्लैट RWA को दे दिए हैं.

बिजली का unpaid बिल 17.64 लाख रुपये का है. इसका लगभग 30% common area का है और शेष फ्लैटों में इस्तेमाल हुई बिजली का है. अर्थात लगभग 12 लाख रुपये की बिजली फ्लैटों में consume हुई है. स्पष्टतः यह बिजली उन्हीं फ्लैटों में consume हुई जो occupied हैं. इसलिए इन 100 फ्लैटों से यह 12 लाख रुपये आने चाहियें. लेकिन नहीं आये हैं. जो 100 फ्लैट occupied हैं उनके मालिकों से पुनः निवेदन है कि तुरंत 12,000 रुपये RWA को दे दें.

यह अंतिम निवेदन है. This is the final humble request to all flat owners.

जिन owners ने बिजली के 12,000 रुपये नहीं दिए हैं वे तुरंत payment कर दें.

इसके बाद की कार्यवाही वे लोग तय करेंगे जिन्होंने 12,000 रुपये दिये हैं और जिनकी बिजली उन लोगों के कारण नहीं कटनी चाहिए जो बिजली का बिल नहीं दे रहे हैं. यदि वे तय करेंगे और RWA को आदेश देंगे कि defaulters के बिजली मीटर disconnect कर दिए जाएं, तो RWA को उनके आदेश का पालन करना होगा. यह सबको ज्ञात होगा कि बिजली के मीटर अब बिल्डर या FCFML के कंट्रोल में नहीं हैं.

जिन फ्लैट owners ने maintenance बिलों की पेमेंट नहीं की है, उनके किरायेदारों का सोसाइटी के गेट में प्रवेश वर्जित करने का आदेश यदि अन्य फ्लैट owners RWA को देते हैं, तो उन किरायेदारों का क्या होगा यह उनके मकान मालिक सोच लें. RWA को majority का आदेश मानना होगा. **Please remember: RWA will deal financial matters only with the owners of flats.**

RWA के बार-बार कहने के बावजूद जो फ्लैट मालिक RWA के सदस्य नहीं बने हैं, उन्हें क़ानून अनुसार 18% GST देना होगा. जो RWA के सदस्य बने हैं, उन्हें कानून ने GST से छूट दे रखी है और उन्हें कोई GST नहीं देना पड़ेगा. समझदार को इशारा काफ़ी है. Also read previous RWA Circular No.5 for GST.

Your Association's President

RWA Office Phone number 0124 5070210